BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 24 अगस्त 2023

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 03 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कारावास व 28-28 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सीटू उर्फ सुमन पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ओगीपुर थाना चन्डोस जनपद अलीगढ, अतुल पुत्र विजय निवासी उपरोक्त, शाहिद पुत्र फतेह मौहम्मद निवासी ग्राम रोरावर थाना देहली गेट जनपद अलीगढ द्वारा वर्ष-2015 में थाना छतारी क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी को भगा ले जाना व दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 20.07.2015 को थाना छतारी पर मुअसं- 200/15 धारा- 363,366,376डी भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 29.03.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 24.08.2023 को मा0 न्यायालय पोक्सो-2 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सीटू उर्फ सुमन, अतुल व शाहित को 20-20 वर्ष का कारावास व 28-28 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील कुमार शर्मा व श्री महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर